



## डा० राम मनोहर लोहिया अवधि विश्वविद्यालय, फैजाबाद (उ०प्र०)

संख्या : लो०आ०वि० / सम्ब० / 2011 / २९२२

दिनांक : २५ अक्टूबर, 2011

सेवा में



प्रबन्धक,  
श्री पी० एल० मेमोरियल डिग्री कालेज,  
बाराबंकी।

विषय महाविद्यालय में परास्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय के अन्तर्गत एम०एड० पाठ्यक्रम में कक्षा संचालन हेतु सम्बद्धता।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या . सम्ब० २२३१/सत्तर-६-२०१०-२(४) / २०१० दिनांक ३० जूलाई, २०१० के कम में मुझसे यह कहने का निर्देश हुआ है कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय, अधिनियम १९७३ (यथा संशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम २००७) की धारा-३७(२) के अधीन श्री० पी० एल० मेमोरियल डिग्री कालेज, बाराबंकी को परास्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय के अन्तर्गत एम०एड० पाठ्यक्रम में २५ सीटों की प्रवेश क्षमता सहित स्ववित्तपोषित योजना के अन्तर्गत सत्र २००९-१० का परीक्षाफल शासनादेश के अनुरूप एवं सामूहिक नकल में आरोपित न होने के दृष्टिगत दिनांक ०१.०७.२०१० से निम्नलिखित शर्तों के अधीन से डा० राम मनोहर लोहिया अवधि विश्वविद्यालय, फैजाबाद से सम्बद्धता प्रदान की जाती है -

१. संस्था शासनादेश संख्या: २८५१ / सत्तर-२-२००३-१६(९२) / २००२ दिनांक २ जुलाई, २००३ में उल्लिखित सुसंगत दिशानिर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन करेगी।
२. महाविद्यालय/संस्था द्वारा एम०एड० पाठ्यक्रम में शासन द्वारा अनुमत्य समस्त सीटों को रुसगत एवं अद्यतन शासनादेशों के अनुसार निर्दिष्ट शैक्षिक सत्र में होने वाली विश्वविद्यालयीय प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित एवं काउसलिंग के माध्यम से आवाइत अभ्यार्थीयों के माध्यम से ही भरा जायेगा तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार शैक्षिक दिवसों में पठन-पाठन कराया जायेगा।
३. संस्था राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित समस्त मानकों को पूर्ण तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित करेगी एवं परिषद द्वारा निर्धारित समस्त शर्तें एवं निर्देशों का अनुपालन करेगी; यह सम्बद्धता राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के अनुमोदन के अधीन है।
४. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अधिनियम में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, १९७३ के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
५. महाविद्यालय द्वारा समय-समय पर जारी शासनादेशों तथा विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत आदेशों का सम्यक अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा महाविद्यालय को व्यवसायिक आधार पर संचालित नहीं किया जायेगा। उल्लंघन की रिधति में सम्बद्धता वापसी की कार्यवाही की जायेगी।

संलग्नक : यथोपरि

पृष्ठांकन संख्या व दिनांक : उपरोक्त  
प्रतिलिपि

१. संचित उच्च शिक्षा विभाग (अनुभाग-६), उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को शासनादेश संख्या सम्ब० २२३१/सत्तर-६-२०१०-२(४) / २०१० दिनांक ३० जूलाई, २०१० के सन्दर्भ में सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं।
२. निर्दिष्ट शैक्षिक कुलपति को, कुलपति महोदय के अवलोकनार्थ प्रेषित।

भवदीय  
*Achhulek*  
(एस०के० शुक्ल)  
कुल सचिव

*Achhulek*  
(एस०के० शुक्ल)  
कुल सचिव